मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 16, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. शपथ

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 171-देवास से, उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्रीमती गायत्री राजे पवार ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा भवन में अपना स्थान ग्रहण किया.

3. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये : -

(1) डॉ. अवधेश प्रताप सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) श्री गंगूराम बघेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, तथा
(3) श्री अशोक सिंघल, नेता, विश्व हिंदू परिषद.

सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री बाला बच्चन, श्री सत्यप्रकाश सखवार एवं कुंवर सौरभ सिंह, सदस्यगण ने भी शोकोदगार व्यक्त किये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगतों के सम्मान में कार्यवाही 10.47 बजे स्थगित की जाकर 11.00 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए

4. अध्यक्षीय घोषणा

सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास रावत एवं अजय सिंह, सदस्यगण द्वारा विधान सभा के अंदर इलेक्ट्रानिक मीडिया कर्मियों की परिवर्तित व्यवस्था का उल्लेख करने पर अध्यक्ष महोदय ने जानकारी दी कि कल सर्वदलीय बैठक में व्यवस्था बता दी थी जिसके अनुसार, प्रिंट मीडिया को भूतल पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रथम तल से कव्हरेज हेतु अनुमति दी गई है किन्तु उसमें यदि उनको कोई एतराज है तो आज सदन की बैठक के बाद में उनके साथ विचार कर निराकरण कर देंगे. नीचे के बजाय ऊपर से फोटोग्राफ लेने की अनुमति दी गई है.

5. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 32 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 56 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

6. बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा खाद्य कम्पनियों की गुणवत्ता जांच के प्रश्न संख्या 2 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

7. गर्भगृह में प्रवेश

श्री सुन्दरलाल तिवारी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या 5 के संबंध में रीवा जिला सहकारी बैंक डभौरा के गबन प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग करते हुए गर्भगृह में आये तथा माननीय अध्यक्ष के निर्देश पर वापस अपने स्थान पर गये.

8. स्थगन प्रस्ताव (पृच्छा) पर अध्यक्षीय व्यवस्था

सर्वश्री रामनिवास रावत एवं बाला बच्चन, सदस्यगण द्वारा शासकीय चिकित्सालय, बड़वानी में मरीजों के मोतियाबिन्द आपरेशन में लापरवाही से अनेक मरीजों के नेत्रहीन होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की दी गई सूचना का उल्लेख कर सदन में चर्चा की मांग की गई.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – "हमने इस विषय में शासन से जानकारी बुलवाई है, तत्पश्चात् यथोचित निर्णय करेंगे और आपको सूचित करेंगे."

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

9. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने बालाघाट शहर में मिनरल्स कंपनी द्वारा खदानों से बगैर सुरक्षा के मजदूरों से कार्य लिये जाने,

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने जिला श्योपुर में संचालित अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पदस्थ शिक्षकों को पांचवे वेतनमान के एरियर्स का भुगतान न होने तथा

(3) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य ने भोपाल स्थित पंचशील नगर की नालियों का निर्माण न होने से गंदगी होने सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की गईं.

10. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखे :-

(1) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015),

(2) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015); तथा

(3) मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015)

11. जुलाई, 2015 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

उपाध्यक्ष महोदय ने जुलाई, 2015 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

12. नियम 267 - क के अधीन जुलाई, 2015 सत्र में पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

उपाध्यक्ष महोदय ने जुलाई, 2015 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

13. राष्ट्रपति / राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 1 विधेयक को राष्ट्रपति महोदय तथा 1 विधेयक को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015)	अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2015
राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	**अधिनियम क्रमांक**
मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2015 (क्रमांक 13 सन् 2015)	अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2015

14. ध्यान आकर्षण

(1) सुश्री हिना कांवरे, सदस्य ने बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र स्थित काष्ठ डिपो में ई-पेमेंट व्यवस्था के कारण जलाऊ लकड़ी का अभाव होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य के अनुरोध पर ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज बिरला ग्राम नागदा द्वारा श्रमिकों के लिए सेवा निवृत्त आयु संबंधी शासन के आदेश का पालन न करने संबंधी उनके ध्यानाकर्षण की सूचना को आगामी तिथि में लिये जाने की जानकारी दी.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

15. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9-अटेर से निर्वाचित सदस्य, श्री सत्यदेव कटारे तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 118-गोटेगांव (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, डॉ. कैलाश जाटव को विधान सभा के दिसम्बर, 2015 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

16. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया:-

(1) श्री कैलाश चावला
(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(3) श्रीमती अर्चना चिटनिस
(4) श्री केदारनाथ शुक्ल
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) डॉ. गोविन्द सिंह

17. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन)विधेयक, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015)	30 मि.
2.	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 15 सन्2015)	30 मि.
3.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 16 सन् 2015)	30 मि.
4	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 17 सन् 2015)	30 मि.
5.	वर्ष 2015-2016 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	2 घंटे
6.	भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम,1993 (क्रमांक 46 सन्1993) संसद द्वारा निरसित किये जाने संबंधी संकल्प .	30 मि.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(2) श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015, (क्रमांक 15 सन्2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 16 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 17 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया.

मध्याह्न 12.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 (17 अग्रहायण, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 7 दिसम्बर, 2015